न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्यां :–12/2017 (पुराना प्र0सं0:– 206/2012)

::– अनवान –::

1. महेश्वरी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन चक 9 एस0पी0डी0 तहसील सूरतगढ़
2. शारदा पत्नी हेतराम जाति जाट साकिन चक 9 एस0पी0डी0 तहसील सूरतगढ़

– वादीगण

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र रामनारायण जाति जाट साकिन 9 एस0पी0डी0 तहसील सूरतगढ़
2. कृष्णलाल पुत्र हीराराम जाति जाट साकिन 9 एस0पी0डी0 तहसील सूरतगढ़
3. सरपंच ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए 1955

उपस्थित :– 1.श्री सुरेन्द्र सुथार एडवोकेट – वादीगण
2.पैरोकार राज नायब तहसीलदार – प्रतिवादी न. 4

::– निर्णय –:: दिनांक :– 11/02/2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादीगण ने वाद पत्र को दोहराते हुए बताया कि वादीगण के नाम से तहसील सूरतगढ़ वाके चक 9 एस0पी0डी0–ए के प0नं0 8/19(15) कि0नं0 1–2–7 ता 19–23–24 की 3.580 हैक्टर अ0क0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का उक्त रकबा ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था के चक 9 एस0पी0डी0 की आबादी भूमि के चिपता रकबा है। उक्त रकबा के पश्चिमी दिशा की तरफ कि0नं0 1, 10, 11 के चिपता ग्राम 9 एसपीडी की आबादी का रकबा है चिपता रकबा होने की वजह से प्रतिवादी नं0 3 की सह पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अतिक्रमी की हैसियत से हम वादीगण की उक्त खातेदारी रकबा में जबरदस्ती घूसने की फिराक में है अगर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 हम वादीगण की खातेदारी रकबा में दाखिल हो गये तो हमें ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। उक्त रकबा बाबत वादीगण ने पूर्व में पैमाईश दिनांक 20.09.2009 को करवाई थी जिसमें प्रतिवादीगण ने अपनी असहमति जाहिर कर ऐतराज प्रस्तुत किया था तथा पैमाईश करने में दिक्कत की थी। वादीगण उक्त रकबा के कि0नं0 1,10,11 के पश्चिमी तरफ सड़क थी, सड़क को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने बन्द कर अपने रिहायशी मकान बना लिए है अब रिहायशी मकानों के पास गली बनाकर बढ़ना चाहते है तथा प0नं0 8/19 कि0नं0 1,10,11 के रकबा में प्रतिवादी संख्या 3 आबादी भूमि की आड़ में वादीगण के रकबा पर जबरदस्ती काबिज होना चाहते है। इसलिये प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि ना तो स्वयं दखलदांजी करें व ना ही किसी अन्य से करवावें की डिक्री जारी की जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की कृषि भूमि के कि0नं0 1,10,11 में सरकारी आम रास्ता दर्ज है जिस पर वादीगण ने अतिक्रमण कर काश्त कर रखी है। वादीगण को रास्ते की हद तक अतिक्रमण हटाने के लिये कहा गया तो वादीगण ने उक्त वाद प्रस्तुत कर दिया। दिनांक 20.09.09 को की गई पैमाईश के दौरान कोई निशानदेही नही

दी गई। वादीगण ने रास्ता पर अतिक्रमण कर लिया है, वादीगण अपने पूर्ण रकबा पर काबिज है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा कोई सड़क बंद नही की गई है। हम प्रतिवादी का मकान आबादी भूमि में है। वादीगण ने जबरन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। इसलिये वाद वादीगण आधारहीन होने से खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस का मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के का अवलोकन किया। वाद पत्र में कायम तनकीयात का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है।

तनकी न. 1 :— आया वाके चक 9 एसपीडी—ए के प0नं0 8/19(15) कि0नं0 1,2,7 ता 19, 23,24 की 3.580 है0 अनकमाण्ड भूमि खातेदारी जिसका कब्जा वादीगण के पास है जिसें प्रतिवादीगण ना तो स्वयं दखलदांजी करें ना ही किसी अन्य से करवायें?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादी ने दावा में लिखा है कि वह अपनी भूमि पर काबिज है। वादीगण व गवाहों ने भी अपने बयान में यह लिखा है कि प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर जबरन दखलदांजी करना चाहते है। वादीगण अपने रकबा के खातेदार कृषक है। इसलिये वादीगण के रकबा में दखलदांजी करने का किसी को कोई अधिकार नही है इसलिये हम तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न.2 :— आया वादीगण ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि की आड़ में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है इसलिये वादीगण किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है तथा वादीगण अतिक्रमी है?

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर है। प्रतिवादीगण यह साबित नही कर पाये है कि वादीगण ने रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है व वादीगण अतिक्रमी है। इसलिये हम यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा वाद धारा 188 आर0टी0ए0 डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी रकबा वाके चक 9 एस0पी0डी0—ए प0नं0 8/19(15) कि0नं0 1,2,7 ता 19, 23, 24 की 3.580 हैक्टर अ0क0 भूमि में ना तो स्वयं दखलदांजी करें व ना ही किसी अन्य से करवायें। वाद खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिक्री::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. महेश्वरी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन चक 9 एस0पी0डी0 तहसील सूरतगढ़
2. शारदा पत्नी हेतराम जाति जाट साकिन चक 9 एस0पी0डी0 तहसील सूरतगढ़

– वादीगण

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र रामनारायण जाति जाट साकिन 9 एस0पी0डी0 तहसील सूरतगढ़
2. कृष्णलाल पुत्र हीराराम जाति जाट साकिन 9 एस0पी0डी0 तहसील सूरतगढ़
3. सरपंच ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–188 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 12 वर्ष 2017 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री सुरेन्द्र सुथार व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी रकबा वाके चक 9 एस0पी0डी0–ए प0नं0 8/19(15) कि0नं0 1,2,7 ता 19, 23, 24 की 3.580 हैक्टर अ0क0 भूमि में ना तो स्वयं दखलदांजी करें व ना ही किसी अन्य से करवायें। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

नोज.....x.....मुबलिग..... x.....बाबत.....x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....x..... फस्दों की पालना..... x.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11/2/2020 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 17:36:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: